के अधीन अधिशेष भूमि की बंदोबस्ती, किसी न्यायालय के आदेश/डिक्री अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित अन्तरण का कोई अन्य उपाय/लिखत में हित अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति, उस अंचल अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में वह होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित है, के कार्यालय में या अंचल अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र की दाखिल खारिज याचिकाओं को प्राप्त करने हेतु, आयोजित शिविर में विहित रीति से उस होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में चालू खतियान अभिधारी खाता पंजी तथा खेसरा पंजी में अपने नाम से दाखिल खारिज करने के लिए याचिका दे सकेगा।

(3) कार्यालय अथवा शिविर में दाखिल खारिज हेतु याचिका प्राप्त होने पर, अंचल अधिकारी याचिका कर्त्ता को विहित रीति से पावती रसीद देगा।

(4) अंचल अधिकारी प्रत्येक दाखिल खारिज याचिका को अंचल कार्यालय में संधारित दाखिल खारिज याचिका पंजी में उनकी प्राप्ति के क्रम में पंजीकृत कराएगा।

(5) अंचल अधिकारी प्रत्येक दाखिल खारिज याचिका के लिए विहित रीति से एक पृथक अभिलेख खुलवाएगा।

अध्याय – III

अंचल अधिकारी को अभिसूचित करने के लिए प्राधिकार

4. **किसी होल्डिंग या उसके भाग में किसी व्यक्ति के हित के अर्जन के संबंध में अंचल अधिकारी को सूचित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी।**–(1)क्रय–विक्रय, विनिमय, बंटवारा, दान अथवा अंतरण के किसी अन्य ढंग द्वारा किसी होल्डिग या उसके भाग के अंतरण के लिखत के निबंधन के बाद, निबंधन प्राधिकारी निबंधित विलेख की छाया प्रति के साथ विहित प्रपत्र में उस निबंधन की सूचना उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में होल्डिंग या उसका भाग अवस्थित हो, को देगा।

(2) डिक्री प्राप्तकर्त्ता को डिक्री के निष्पादन में क्रेता को न्यायालय के निलामी/विक्रय में होल्डिग या उसके भाग पर दखल दिए जाने या जब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 अथवा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अधीन बंटवारा की अन्तिम डिक्री पारित होने के उपरांत यथास्थिति वह न्यायालय, जिसके द्वारा डिक्री का क्रियान्वयन किया गया हो अथवा वह न्यायालय, जिसके द्वारा बंटवारा हेतु अन्तिम डिक्री पारित की गयी हो, उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में होल्डिग अथवा उसका भाग अवस्थित है, को विहित प्रपत्र में इस तथ्य की सूचना देगा।

(3) लोक भूमि की बन्दोबस्ती/अंतरण/समनुदेशन के संबंध में अन्तिम आदेश पारित करने वाला तथा बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन अर्जित भूमि के वितरण, बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947 के अधीन वासगीत का पर्चा देने, वास भूमि रहित महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि की क्रय नीति 2010 के अधीन महादलित परिवारों को वास भूमि देने, बिहार काश्तकारी अधिनियम,1885 के अधीन दर रैयत को अधिभोग अधिकार देने, कोशी क्षेत्र (रैयत को भूमि वापसी) अधिनियम, 1951 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि प्रत्यावर्तित करने वाला प्राधिकारी उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को उस आदेश की सूचना विहित प्रपत्र में देगा।

(4) बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के अधीन भूमि अनुदान के संबंध में, बिहार भूदान यज्ञ समिति का सम्बन्धित अधिकारी उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को विहित प्रपत्र में सूचना देगा।

(5) भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन भूमि के अर्जन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी, उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को इसकी विहित प्रपत्र में सूचना देगा।

(6) भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि प्रत्यावर्तित करने हेतु उत्तरदायी प्राधिकार उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को इसकी सूचना विहित प्रपत्र में देगा।

(7) बंटवारा, निर्वसीयत या वसीयती उत्तराधिकार अथवा किसी अन्य उपाय/लिखत द्वारा किसी होल्डिंग या उसके भाग में हित के अर्जन के संबंध में, उस क्षेत्र का कर्मचारी विहित रीति से जानकारी प्राप्त करेगा तथा इसकी सूचना विहित प्रपत्र में अंचल अधिकारी को देगा।

(8) कोई व्यक्ति किसी होल्डिग या उसके भाग में किसी उपाय/लिखत द्वारा हित अर्जित करता है तो वह उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार में होल्डिग या उसका भाग अवस्थित हो, होल्डिग या उसके भाग में हित के अर्जन के संबंध में, हित अर्जन के 90 दिनों के भीतर, विहित रीति से सूचित करेगा।

अध्याय – IV

जाँच–पड़ताल और प्रतिवेदन

5. **दाखिल खारिज मामलों में जांच–पड़ताल और प्रतिवेदन।**–(1) दाखिल खारिज की याचिका प्राप्त होने पर या होल्डिग अथवा उसके भाग में हित अर्जन के सम्बन्ध में प्राधिकार द्वारा सूचित किए जाने पर या स्वप्रेरणा से यदि अंचल अधिकारी का सामाधान हो जाय कि होल्डिग या उसके भाग में हित अर्जित हुआ है जो दाखिल खारिज होने के लिए पर्याप्त है, अंचल अधिकारी कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में दाखिल खारिज याचिका के संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन देने का आदेश देते हुए दाखिल खारिज की कार्यवाही प्रारंभ करेगा तथा उस आदेश को कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को संसूचित करवाएगा।

(2) दाखिल खारिज याचिका के संबंध में जांच–प्रतिवेदन का आदेश प्राप्त होने पर, कर्मचारी विहित रीति से जांच–पड़ताल करेगा तथा अंचल निरीक्षक को विहित प्रपत्र में जांच–प्रतिवेदन समर्पित करेगा।

(3) कर्मचारी से जांच–प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अंचल निरीक्षक कर्मचारी के जांच–प्रतिवेदन की सत्यता का परीक्षण करेगा तथा अपना निष्कर्ष एवं अनुशंसा विहित रीति से अभिलिखित करेगा।

(4) अंचल निरीक्षक विहित प्रपत्र में अपने निष्कर्ष एवं अनुशंसा के साथ कर्मचारी का जांच– प्रतिवेदन अंचल अधिकारी को प्रेषित करेगा।

(5) यदि अंचल अधिकारी कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की जांच–पड़ताल से संतुष्ट नहीं हो तो उस रीति से, जिसे वह उचित समझे, वह स्वयं जांच कर सकेगा तथा अपना निष्कर्ष विहित रीति से अभिलिखित करेगा।

अध्याय–V
निपटारा

6. **दाखिल खारिज मामलों का निपटारा।**–(1) अंचल अधिकारी, कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से दाखिल खारिज याचिका के संबंध में जांच–प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, विहित रीति से अथवा इस अधिनियम की धारा–5 (5) के अधीन स्वयं अपने द्वारा जाँचोपरान्त, उन व्यक्तियों, जिनका होल्डिंग या उसके भाग में हित निहित हो, के साथ–साथ जन साधारण से विहित रीति से आपत्ति आमंत्रित करने के उपरांत दाखिल खारिज मामलों का या तो –

(क) अपने कार्यालय में होने वाले नियमित दाखिल खारिज न्यायालय में, अथवा

(ख) उस क्षेत्र के दाखिल खारिज मामलों के निपटारा हेतु जिस क्षेत्र में होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित हो, आयोजित शिविर न्यायालयों में निपटारा करेगा।

(2) आपत्ति की प्राप्ति के उपरांत, अंचल अधिकारी संबंधित पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त अवसर देगा तथा आपत्ति का निपटारा करेगा एवं जैसा वह उचित समझे वैसा आदेश पारित करेगा।

(3) जिन मामलों में आपत्ति दायर करने की अन्तिम तिथि की समाप्ति के उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उनमें अंचल अधिकारी, जैसा उचित समझे, वैसा आदेश पारित कर उनका निपटारा करेगा।

(4) जिन मामलों में आपत्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(5) दाखिल खारिज याचिका को अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में, अंचल अधिकारी आदेश फलक में उन आधारों को अभिलिखित करेगा जिनके आधार पर उसे अस्वीकृत किया गया हो तथा याचिका कर्त्ता को, उन आधारों का, जिन पर याचिका अस्वीकृत की गयी हो, संक्षिप्त विवरण देते हुए, विहित रीति से, सूचित करेगा।

(6) जिन मामलों में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है उनमें अंचल अधिकारी अपने दाखिल खारिज आदेश को कार्यान्वित करने हेतु विहित प्रपत्र में शुद्धि–पत्र निर्गत करेगा तथा याचिका कर्त्ता को विहित रीति से सूचित करेगा।

(7) कर्मचारी, उस राजस्व ग्राम को, जिसमें होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित हो, चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी तथा खेसरा पंजी में, शुद्धि–पत्र में परिवर्त्तन हेतु दिए गए आदेश को दर्शाते हुए प्रविष्टियों में परिवर्त्तन करेगा।

(8) अभिधारी खाता पंजी की प्रविष्टियों में किए गए परिवर्त्तन के आधार पर कर्मचारी संबंधित जमाबंदी में वार्षिक लगान एवं सेस की मांग में परिवर्त्तन करेगा।

(9) क्रय–विक्रय, दान अथवा विनिमय के द्वारा अंतरण के आधार पर दाखिल खारिज का दावा स्वीकृत नहीं किया जाएगा जबतक वह निबंधित न हो।

(10) विल के आधार पर दाखिल खारिज का दावा स्वीकृत नहीं किया जाएगा जबतक सक्षम न्यायालय द्वारा विल का प्रोबेट सम्यक् रुप से विनिश्चित न किया गया हो।

(11) न्यायालय अथवा निबंधित विलेख से अन्यथा, बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज का दावा स्वीकृत नहीं किया जाएगा जबतक सभी हिस्सेदारों की, बंटवारा के लिए, सहमति न हो।

(12) होल्डिंग या उसके भाग के दाखिल खारिज के वैसे मामलों में स्वीकृति नहीं दी जाएगी जिनमें होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में, सक्षम न्यायालय में स्वत्ववाद लंबित हो।

(13) होल्डिंग या उसके भाग के वैसे मामलों में दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी जाएगी जिनमें होल्डिंग या उसके भाग में हित अर्जन करने वाले का उस होल्डिंग या उसके भाग पर भौतिक रूप से दखल न हो।

अध्याय–VI
अपील एवं पुनरीक्षण

7. अपील।–(1) अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध, आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के समक्ष अपील की जाएगी।

(2) भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता को यदि समाधान हो जाय कि विलम्ब होने के समुचित कारण हैं तो वह अपील दायर होने में हुए विलम्ब को क्षांत कर सकता है।

(3) भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो उसे उपान्तरित, परिवर्तित या अपास्त करने वाला कोई आदेश तबतक नहीं दिया जाएगा जबतक सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(4) दाखिल खारिज अपील के निपटारा की समय सीमा दाखिल खारिज अपील दायर करने की तिथि से तीस (30) कार्य–दिवस होगी।

8. पुनरीक्षण।–(1) इस अधिनियम के अधीन समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता अपने पास आवेदन दिए जाने पर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के लिए ऐसे प्राधिकारी या पदाधिकारी के समक्ष विचाराधीन या निपटाए गए किसी मामले के अभिलेखों की मांग और परीक्षा कर सकेगा और, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर सकेगा।

(2) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के 30 दिनों के भीतर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर कर सकेगा।

(3) समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता को यदि समाधान हो जाय कि विलम्ब के समुचित कारण हैं तो वह आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर करने में हुए विलम्ब को क्षांत कर सकेगा।

(4) समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता किसी प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या अपास्त करने का आदेश तबतक पारित नहीं करेगा जबतक कि संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) दाखिल खारिज पुनरीक्षण आवेदन के निपटारा की समय–सीमा पुनरीक्षण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीस (30) कार्य–दिवस होगी।

अध्याय–VII
जमाबन्दी का रद्दीकरण

9. जमाबन्दी का रद्दीकरण।–(1) अपर समाहर्त्ता को, स्वप्रेरणा से अथवा आवेदन पर, किसी जमाबन्दी जो वर्त्तमान में लागू किसी विधि के उल्लंघन में अथवा इस निमित्त किसी कार्यपालक निर्देश के अतिलंघन में सृजित की गयी हो, के सम्बन्ध में जाँच–पड़ताल करने की शक्ति होगी। अपर समाहर्त्ता, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो; सम्बन्धित पक्षकारों को उपस्थित होने, साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त, वैसी जमाबन्दी रद्द करने, उसके अन्तर्गत दावा करने वाले व्यक्ति को बेदखल तथा उन शर्त्तों पर, जो अपर समाहर्त्ता को उचित एवं न्यायपूर्ण प्रतीत होता हो, वैध स्वामी/अभिरक्षक को दखल सौंप सकेगा।

(2) जमाबन्दी में हित रखने वाले पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना उप–धारा (1) के अधीन जमाबन्दी रद्द नहीं की जाएगी।

(3) कोई व्यक्ति, जिसका किसी जमाबन्दी की भूमि अथवा उसके भाग में हित हो, उस अपर समाहर्त्ता, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अथवा उसका भाग अवस्थित हो, के समक्ष जमाबन्दी के रद्दीकरण हेतु याचिका दायर कर सकेगा।

(4) जमाबन्दी रद्द करने हेतु दायर याचिका अथवा सरकारी विभाग, जिसका उस भूमि अथवा उसके भाग में हित निहित हो, के निर्देश अथवा स्वप्रेरणा से, अपर समाहर्त्ता, जिसके क्षेत्र में भूमि अथवा उसका भाग अवस्थित हो, जमाबन्दी में हित रखने वाले व्यक्तियों को सूचना निर्गत करते हुए जमाबन्दी के रद्दीकरण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा।

(5) अपर समाहर्त्ता, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अथवा उसका भाग अवस्थित हो, स्वयं अपने अथवा अपने द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा जाँच के उपरांत, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा।

(6)(क) अपर समाहर्त्ता के आदेश के विरुद्ध अपील जिला के समाहर्त्ता के समक्ष, उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, 30 दिनों के भीतर संस्थित होगी।

(ख) जिला के समाहर्त्ता को यदि समाधान हो जाय कि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण हैं तो अपील दायर होने में हुए विलम्ब को क्षांत कर सकेगा।

(ग) जिला के समाहर्त्ता द्वारा, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसे उपान्तरित, परिवर्तित या अपास्त करने वाला कोई आदेश तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(7)(क) जिला के समाहर्त्ता के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के 30 दिनों के भीतर प्रमण्डल के आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर कर सकेगा।

(ख) प्रमण्डलीय आयुक्त को यदि समाधान हो जाय कि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण हैं तो पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर करने में हुए विलम्ब को क्षांत कर सकेगा।

(ग) प्रमण्डलीय आयुक्त, अपने पास आवेदन दिए जाने पर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकार या पदाधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए ऐसे प्राधिकार या पदाधिकारी के समक्ष विचाराधीन या निपटाए गए किसी मामले के अभिलेखों की माँग और परीक्षा कर सकेगा और, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर सकेगा।

(घ) प्रमण्डलीय आयुक्त किसी प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या अपास्त करने का आदेश तबतक पारित नही करेगा जबतक कि सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

अध्याय–VIII

खाता पुस्तिका का निर्माण

10. खाता पुस्तिका का निर्माण एवं फीस लेकर अभिधारियों को उसकी आपूर्ति।– (1) यथाविहित रीति से किसी राजस्व ग्राम में अभिधारी की अभिधृति की एक खाता पुस्तिका तैयार की जाएगी तथा यथाविहित फीस के भुगतान तथा समय सीमा के अन्तर्गत, जिसके क्षेत्राधिकार में अभिधृति अवस्थित है, के अंचलाधिकारी के द्वारा सम्बन्धित अभिधारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) खाता पुस्तिका में निम्नलिखित विवरण होंगे–

(i) अभिधारी द्वारा धारित भूमि के संदर्भ में चालू खतियान तथा अभिधारी खाता पंजी का सुसंगत उद्धरण,

(ii) लगान तथा सेस की माँग और वसूली,

(iii) सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण एवं उसका वापसी–भुगतान।

(3) खाता पुस्तिका, भूमि के प्रत्येक दाखिल–खारिज के बाद, यथाविहित रीति से अद्यतनीकरण के लिए अभिधारी के द्वारा सम्बन्धित अंचलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय–IX

विविध

11. संक्षिप्त कार्यवाही।–इस अधिनियम के अधीन सारी कार्यवाहियाँ संक्षिप्त कार्यवाहियाँ होंगी।

12. नियमित दाखिल खारिज न्यायालय में दाखिल खारिज मामलों के निपटारे की समय–सीमा।–(1) नियमित दाखिल खारिज न्यायालय में दाखिल खारिज मामलों, जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हो, के निपटारे की समय–सीमा दाखिल–खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से इक्कीस (21) कार्य–दिवस, अठारह (18) कार्य–दिवस आदेश पारित करने के लिए एवं तीन (03) कार्य–दिवस शुद्धि पत्र निर्गत करने के लिए, की होगी।

(2) नियमित दाखिल खारिज न्यायालय में दाखिल खारिज वादों, जिनमें आपत्तियाँ प्राप्त हुई हों, के निपटारे की समय–सीमा दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से तैंतीस (33) कार्य–दिवस, तीस (30) कार्य–दिवस आदेश पारित करने के लिए एवं तीन (03) कार्य–दिवस शुद्धि पत्र निर्गत करने के लिए, की होगी।

13. शिविर न्यायालय में दाखिल खारिज मामलों के निपटारे की समय–सीमा।– (1) शिविर न्यायालय में दाखिल खारिज मामलों, जिनमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हो, के निपटारे की समय–सीमा दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से अठारह (18) कार्य–दिवस, पन्द्रह (15) कार्य-दिवस आदेश पारित करने के लिए एवं तीन (03) कार्य–दिवस शुद्धि–पत्र निर्गत करने के लिए, की होगी।

(2) शिविर न्यायालय में दाखिल खारिज याचिकाओं, जिनमें आपत्तियाँ प्राप्त हुई हों, के निपटारे की समय–सीमा दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से तैंतीस (33) कार्य–दिवस, तीस (30) कार्य–दिवस आदेश पारित करने के लिए एवं (03) कार्य–दिवस शुद्धि–पत्र निर्गत करने के लिए, की होगी।

14. दाखिल खारिज याचिकाओं के निपटारे में हुए विलम्ब के कारणों को अभिलिखित करना।–वैसे मामलों में, जिनमें पूर्वगामी धाराओं में उपबन्धित समय–सीमा के अन्तर्गत दाखिल खारिज याचिकाओं का निपटारा नहीं किया गया है, अंचल अधिकारी विलम्ब के कारणों को आदेश–फलक में अभिलिखित करेगा जो जिला समाहर्त्ता के द्वारा विहित रीति से संवीक्षा के अधीन होगा।

15. निपटारे में विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व।–दाखिल खारिज मामलों के निपटारे में विलम्ब का दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारी पर होगा जिसके कारण वह विलम्ब हुआ हो।

16. प्राधिकारों को व्यवहार न्यायालय की शक्ति।–इस अधिनियम के अध्यधीन, समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता तथा अंचल अधिकारी को साक्ष्य ग्रहण करने, किसी व्यक्ति को सम्मन करने और हाजिर कराने तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करने, दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करने एवं खर्चा दिलवाने के मामलों में वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हों।

17. **न्यायालय फीस।**—इस अधिनियम के अधीन दायर की गयी प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण के आवेदन पर यथा विहित मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प लगा रहेगा।

18. **प्रमाणित प्रतिलिपियाँ और जानकारी।**—राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, इस निमित्त, यथाविहित नियमों के अधीन और फीस के भुगतान करने पर, आदेश फलक, शुद्धि–पत्र, चालू खतियान तथा अभिधारी–खाता–पंजी से जानकारी और प्रमाणित उद्धरण तथा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि, विहित प्रपत्र में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को दी जाएगी।

19. **निदेश, नियंत्रण तथा अधीक्षण।**—अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता तथा अपर समाहर्त्ता, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के अनुपालन तथा शक्तियों के प्रयोग में, जिला समाहर्त्ता के सामान्य निदेश, नियंत्रण तथा अधीक्षण के अधीन होंगे।

20. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।**—राज्य सरकार, परिस्थिति के अनुसार, आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसा कोई कार्य कर सकेगी या करने का निदेश दे सकेगी ताकि अधिनियम को लागू करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

21. **अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी नहीं होना।**—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी उपबन्ध के अल्पीकरण में न होकर उसके अतिरिक्त होंगे।

22. **सरकार को नियम बनाने की शक्ति।**—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी एक प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो।

(2) इस धारा के अधीन बना प्रत्येक नियम, बनने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन, में जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की कालावधि तक, जो एक सत्र में समाविष्ट हो या दो उत्तरवर्त्ती सत्रों में, रखा जाएगा और यदि जिस सत्र में रखा जाय, उस सत्र के या ठीक पश्चात्वर्त्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हों अथवा दोनों सदन सहमत हों कि नियम बनाया ही न जाय, तो तदुपरांत नियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी या निष्प्रभावी होगा, किन्तु ऐसा उपांतरण या बातिलिकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

23. **निरसन और व्यावृत्ति।**—(1) बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 (बिहार अधिनियम, 28, 1975) को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन अथवा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी मानी जाएगी, मानों उस दिन यह अधिनियम प्रवृत्त था।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

22 दिसम्बर 2011

सं० एल०जी०-1-24/2011/246/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 23, 2011]
The Bihar Land Mutation ACT, 2011
AN
ACT

Preamble :- to provide for regulating the process of mutation of land and making it concomitant with the needs of present time.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty second year of the Republic of India as follows :-

14. बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012

निबंधन संख्या पो0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1934 (शo)

(सं0 पटना 395) पटना, मंगलवार, 14 अगस्त 2012

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

14 अगस्त 2012

बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012

सं0 8/नियम संशोधन (दा0–खा0)–08–01/2012–686 (8) रा0—बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

अध्याय–I

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।– (1) यह नियमावली "बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह सरकार द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएं** ।– इस नियमावली में, जबतक कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो, बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–2 में दिए गए शब्दों की परिभाषाएँ बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012 में प्रयुक्त उन शब्दों के लिए भी लागू की जायंगी।

अध्याय–II

दाखिल खारिज याचिकाएं दायर करने की प्रक्रिया

3. **दाखिल–खारिज के लिए याचिका दायर किया जाना**।– (1) किसी होल्डिंग या उसके किसी भाग में किसी तरह/लिखत द्वारा हित अर्जन करनेवाला कोई व्यक्ति चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी तथा खेसरा पंजी, जो हल्का एवं अंचल कार्यालय में क्रमशः **प्रपत्र–Iख, II** एवं **III** में संधारित की जाएगी, उस होल्डिंग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में उसके नाम दाखिल–खारिज करने के लिए उस अंचल अधिकारी के, जिसके क्षेत्राधिकार में वह होल्डिंग या उसका भाग अवस्थित हो, न्यायालय में अथवा उस क्षेत्र के दाखिल–खारिज याचिका प्राप्त करने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा आयोजित शिविर में **प्रपत्र–Iक** में याचिका दायर कर सकेगा।

(2) याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रपत्र– I क में दायर की जानेवाली दाखिल–खारिज याचिका में निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे :–

(i) क्रय, दान तथा बदलैन द्वारा किसी होल्डिंग या उसके भाग में हित अर्जित होने के मामले में निबंधित विलेख की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(ii) बिना दाखिल–खारिज हुए भूमि के अंतरण के मामले में, पूर्वगामी विलेख (खों) या आदेश (शों), यदि कोई हो, की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(iii) वसीयत के द्वारा हित अर्जित होने के मामले में, वसीयत के साथ सक्षम न्यायालय द्वारा पारित प्रोबेट आदेश की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(iv) सक्षम न्यायालय के आदेश/डिक्री द्वारा हित अर्जन के मामले में, न्यायालय के आदेश/डिक्री की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(v) निबंधन के माध्यम से बंटवारा के मामले में, निबंधित बंटवारे के विलेख की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(vi) आपसी सहमति से बंटवारा के मामले में, सभी सह हिस्सेदारों की सहमति तथा सह हिस्सेदारों के हस्ताक्षर जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति के सदस्यों/सरपंच /मुखिया/वार्ड सदस्य/पंच अथवा शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद द्वारा सम्यक रूप से पहचान की जायगी, दर्शानेवाली दस्तावेज की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(vii) उत्तराधिकार द्वारा हित अर्जन के मामले में, पूर्वज के देहान्त होने तथा मृतक के उत्तराधिकारी होने से सम्बन्धित याचिकाकर्त्ता के दस्तावेज की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(viii) भूदान भूमि की बन्दोबस्ती के मामले में, भूदान यज्ञ समिति द्वारा निर्गत बन्दोबस्ती का दस्तावेज/भूदान भूमि के पर्चा की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(ix) लोक भूमि, यथा गैरमजरुआ मालिक/खास, गैरमजरुआ आम, भूहदबंदी अधिशेष भूमि आदि की बन्दोबस्ती/अंतरण/समनुदेशन आदि के माध्यम से हित अर्जन के मामले में, लोक भूमि की बन्दोबस्ती/हस्तांतरण/समनुदेशन के दस्तावेज की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(x) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासभूमि काश्तकारी अधिनियम, 1947 के अधीन निर्गत पर्चा की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति, उक्त अधिनियम के अधीन बन्दोबस्ती के मामले में;

(xi) महादलित परिवारों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की भूमि क्रय नीति, 2010 के अधीन भूमि के क्रय के मामले में, त्रिपक्षीय निबंधित विलेख की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(xii) भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि प्रत्यावर्त्तित करने के मामले में, भूमि या उसके किसी भाग के रैयत को प्रत्यावर्त्तन दर्शानेवाले दस्तावेज की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(xiii) कोशी क्षेत्र (रैयत को भूमि प्रत्यावर्त्तन) अधिनियम, 1951 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि के प्रत्यावर्त्तन के मामले में पूर्व रैयत को भूमि का प्रत्यावर्त्तन दर्शानेवाले दस्तावेज की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति;

(xiv) होल्डिंग या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में जिसके लिए दाखिल खारिज के लिए याचिका दायर की जा रही हो, अंतिम लगान–रसीद, यदि उपलब्ध हो, की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति।

(3) दाखिल–खारिज याचिका के या तो कार्यालय या शिविर में प्राप्त होने पर, अंचल अधिकारी **प्रपत्र–IV** में रसीद संस्वीकृति के रूप मे देगा।

(4) अंचल अधिकारी प्रत्येक दाखिल–खारिज याचिका को दाखिल खारिज याचिका पंजी में, जिसे अंचल कार्यालय में **प्रपत्र–V** में संधारित किया जाएगा, प्राप्ति क्रम में पंजीकृत कराएगा।

(5) अंचल अधिकारी प्रत्येक दाखिल–खारिज याचिका के लिए एक पृथक वाद अभिलेख खोलवाएगा, जिसमें वाद संख्या, दायर करने की तिथि तथा पक्षकारों के नाम दर्ज किये जायेंगे, तथा वाद अभिलेख में कार्यवाही के साथ–साथ प्रत्येक आदेश/अनुदेश/निवेदन अभिलिखित होगा जिसे पीठासीन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन तिथिवार संधारित किया जाएगा।

(6) याचिका की प्राप्ति के क्रम में, वाद–अभिलेख खोला जाएगा एवं दायर किए जानेवाले वर्ष के साथ वाद–संख्या दी जाएगी।

अध्याय–III

प्राधिकारों के संसूचन के आधार पर दाखिल–खारिज कार्यवाही का प्रारम्भ

4. **किसी व्यक्ति को किसी होल्डिंग या उसके किसी भाग में हित अर्जित होने पर प्राधिकारों द्वारा अंचल अधिकारी को सूचित किया जाना ।**– (1) क्रय–विक्रय, दान, बदलैन द्वारा किसी अंतरण के लिखत का निबंधन होने अथवा किसी होल्डिंग या उसके किसी भाग का किसी अन्य ढंग से निबंधित अंतरण के मामले में

निबंधन प्राधिकारी निबंधित विलेख की प्रति एवं जमींदारी फीस की रसीद की प्रति के साथ **प्रपत्र–VI** में, अंचल अधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार में होल्डिंग या उसका भाग अवस्थित हो, सूचना देगा।

(2) प्राधिकार, जिसने, यथास्थिति, लोक–भूमि की बन्दोबस्ती/अंतरण/समनुदेशन के लिए, बिहार भूमि सुधार (भू–हदबंदी का निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961, के अधीन भू–हदबंदी से अधिशेष भूमि के वितरण, बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासभूमि काश्तकारी अधिनियम, 1947 के अधीन पर्चा के वितरण, महादलित विकास योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रयनीति, 2010 के अधीन महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि के क्रय, भू–अर्जन अधिनियम, 1894 अथवा कोशी (रैयतों को भूमि का प्रत्यावर्तन) अधिनियम, 1951 के अधीन पूर्व रैयतों को भूमि के प्रत्यावर्त्तन, भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के अधीन भूदान भूमि के अनुदान, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के अधीन किसी दर–रैयत के अधिभोग के अधिकार के अनुदान का अन्तिम आदेश पारित किया हो, उस आदेश की सूचना **प्रपत्र–VII** में अंचल अधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को देगा।

(3) क्षेत्र का कर्मचारी अपने क्षेत्राधिकार के अधीन ग्रामों का साप्ताहिक दौरा करेगा तथा लोगों से सम्पर्क स्थापित करेगा एवं भूमि के अंतरण, बंटवारा, निर्वसीयती या वसीयती उत्तराधिकार या किसी होल्डिंग या उसके भाग का किसी अन्य साधन/लिखत द्वारा हित के अर्जन के मामलों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करेगा तथा **प्रपत्र–VIII** में संधारित होनेवाली सम्पर्क पंजी में जानकारी को अभिलिखित करेगा। वह, जहाँ तक सम्भव हो, ऐसी सूचना देनेवाले व्यक्तियों का हस्ताक्षर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कर्मचारी किसी व्यक्ति के किसी होल्डिंग या उसके भाग में ऐसे अधिकार के अर्जन की सूचना **प्रपत्र–IX** में अंचल अधिकारी को देगा।

अध्याय–IV
जांच एवं प्रतिवेदन

5. **जांच एवं प्रतिवेदन** ।– (1) दाखिल–खारिज के लिए याचिका या किसी प्राधिकारी द्वारा किसी होल्डिंग या उसके भाग में हित के अर्जन की जानकारी प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से, यदि अंचल अधिकारी का सामाधान हो जाय कि किसी होल्डिंग या उसके भाग में हित का अर्जन हुआ है जो दाखिल–खारिज करने हेतु पर्याप्त है तो सम्बन्धित अंचल का अंचल अधिकारी सम्बन्धित वाद–अभिलेख में कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को विस्तृत जांच–प्रतिवेदन देने का आदेश देकर कार्यवाही प्रारम्भ करेगा एवं दो दिनों के भीतर कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को **प्रपत्र–X** में आदेश संसूचित कराएगा।

(2) नियमित न्यायालय में दाखिल–खारिज के मामले में, अंचल अधिकारी तत्काल उस स्थान की आम जनता से जहाँ भूमि या उसका भाग अवस्थित हो आपत्ति आमंत्रण के लिए **प्रपत्र– XI** में आम सूचना तथा जमाबन्दी रैयत जिसकी जमाबन्दी से भूमि कम करना प्रस्तावित हो, अंतरिती, जमाबंदी रैयत के अंतरक नहीं होने के मामले में, अंतरक तथा उन सभी व्यक्तियों से, जिनका इस भूमि या उसके भाग में हित निहित हो, **प्रपत्र–XII** में आपत्ति आमंत्रण करने के लिए विनिर्दिष्ट सूचनाएँ निर्गत करेगा।

(3) आम सूचना का प्रकाशन, उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में भूमि या उसका भाग अवस्थित हो, प्रमुख स्थानों पर चिपकाने के साथ–साथ सम्बन्धित पंचायत भवन के सूचना–पट पर प्रदर्शित कर, प्रकाशित किया जाएगा।

(4) विनिर्दिष्ट सूचना, जिस व्यक्ति के विरुद्ध निर्गत की गयी हो, उसे अथवा उसके निकट रिश्तेदार को तामील करायी जाएगी। तथापि, यदि वह सूचना प्राप्त करने से इन्कार करता है, तो उसके निवास स्थल के सामने वाले दरवाजे/दीवाल पर चिपकाकर तामील की जाएगी तथा इसे तामील कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जहाँ तक सम्भव हो, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम चौकीदार तथा अन्य स्थानीय निवासियों से तामील–प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर प्राप्त करेगा तथा उसे सूचना का समुचित तामील माना जाएगा।

(5) किसी अवयरक अथवा मानसिक रूप से विकृत चित्त किसी व्यक्ति को सूचना देने के मामले में पूर्वगामी उप नियम (4) में यथोल्लिखित रीति से सूचना, यथास्थिति, अवयस्क अथवा मानसिक रूप से विकृत चित्त व्यक्ति के अभिभावक को तामील करायी जाएगी।

(6) सूचना की अवधि 14 दिनों की होगी।

(7) स्थान, दिन एवं समय जहाँ, जिस दिन एवं जब अंचल अधिकारी के न्यायालय में वाद की सुनवाई की जाएगी, सूचना में स्पष्ट रूप से दर्शाया जायगा।

(8) शिविर न्यायालय में दाखिल–खारिज की दशा में, आपत्ति आमंत्रण ध्वनि प्रसार यंत्र अथवा अन्य साधन के माध्यम से शिविर में ही इस आशय की उद्घोषणा करके, किया जाएगा।

(9) कर्मचारी भूमि के बारे में विस्तृत जांच करेगा, राजस्व अभिलेखों से इसका सत्यापन करेगा एवं स्थानीय जांच करेगा तथा जांच के लिए आदेश के संसूचन के 3 दिनों के भीतर अंचल निरीक्षक को **प्रपत्र–XIII** में विस्तृत जांच प्रतिवेदन समर्पित करेगा।

(10) कर्मचारी के **प्रपत्र–XIII** में जांच–प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि की विस्तृत जानकारी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, अंतर्विष्ट रहेगी :–

(i) जांच का ढंग (स्थानीय जांच, राजस्व अभिलेखों से सत्यापन, इत्यादि);

(ii) भूमि की प्रकृति यथा रैयती/गैरमजरूआ मालिक/खास/गैरमजरूआ आम/खास महाल/मुहदबंदी से अधिशेष/भूदान इत्यादि;

(iii) भूमि के अन्तरण का लिखत यथा लिखत के ब्यौरे के साथ-साथ क्रय, दान, उत्तराधिकार, बदलैन, बंटवारा, बन्दोबस्ती इत्यादि;

(iv) जमाबंदी सख्या, जमाबंदी रैयत का नाम तथा जमाबंदी में भूमि का खेसरावार (प्लाटवार) कुल रकबा;

(v) प्रश्नगत भूमि के दाखिल-खारिज के उपरान्त जमाबंदी में शेष रह जानेवाली भूमि का खेसरावार रकबा;

(vi) जमाबंदी रैयत के अन्तरक नहीं होने की दशा में, अन्तरक का जमाबंदी रैयत से सम्बन्ध तथा अन्तरक का भूमि अन्तरण करने हेतु अधिकार;

(vii) दाखिल-खारिज के संदर्भ में अर्जी के साथ उपलब्ध पूर्व विलेख (खों)/आदेश (शों) का संगति;

(viii) धार्मिक/सामाजिक प्रयोजनों यथा-मंदिर/मस्जिद/कब्रिस्तान/श्मशान घाट इत्यादि के लिए उपयोग की जा रही भूमि;

(xi) भूमि पर भौतिक दखल;

(x) भूमि अथवा उसके किसी भाग, जिसके दाखिल-खारिज हेतु याचिका दायर की गयी हो, से सम्बन्धित स्वत्ववाद सक्षम न्यायालय में लम्बित होना;

(xi) कोई अन्य विवाद।

(11) अंचल निरीक्षक, कर्मचारी द्वारा **प्रपत्र-XIII** में समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन का सत्यापन करेगा तथा वह कर्मचारी के प्रतिवेदन से सहमत है या नहीं, स्पष्ट रूप से अभिलिखित करेगा। अंचल निरीक्षक दाखिल-खारिज याचिका चलाने की योग्यता अथवा उसकी नामंजूरी के सम्बन्ध में अंचल अधिकारी को सिफारिश करेगा तथा कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन की प्राप्ति के 3 कार्य-दिवसों के भीतर उसी **प्रपत्र-XIII** में प्रतिवेदन अंचल अधिकारी को समर्पित करेगा।

(12) अंचल अधिकारी का, कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन से समाधान न होने की दशा में वह स्वयं, उस रीति से जिसे वह उचित समझे, उसकी जांच कर सकेगा तथा जांच की तिथि के साथ-साथ अपना निष्कर्ष वाद अभिलेख में अभिलिखित करेगा।

अध्याय-V
निपटारा

6. **नियमित न्यायालय में दाखिल-खारिज वादों का निपटारा** ।- अंचल अधिकारी, कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा स्वयं अपनी जांच होने पर तथा **प्रपत्र-XI** में आम सूचना एवं **प्रपत्र-XII** में विशिष्ट सूचना में यथा विनिर्दिष्ट आपत्ति दायर करने की अवधि की समाप्ति के बाद, अपने नियमित न्यायालय में निम्नलिखित रीति से वादों का निपटारा करेगा :-

(i) वैसे वादों का, जिनमें आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हों, उनमें दाखिल-खारिज याचिका की प्राप्ति के 18 कार्य दिवसों के भीतर जैसा अंचल अधिकारी उचित समझे वैसा आदेश पारित कर, निपटारा किया जाएगा।

(ii) वैसे वादों का, जिनमें आपत्तियाँ प्राप्त हुई हों, उनमें सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का, यदि कोई हो, युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त, दाखिल-खारिज याचिका प्राप्त होने के 30 कार्य दिवसों के भीतर, जैसा अंचल अधिकारी उचित समझे वैसा आदेश पारित कर, निपटारा किया जाएगा।

7. **शिविर न्यायालय में दाखिल-खारिज वादों का निपटारा** ।- दाखिल-खारिज याचिकाएं प्राप्त करने के लिए प्रथम शिविर में दायर किए गए वादों के सम्बन्ध में, कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच-प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा अंचल अधिकारी स्वयं अपनी जांच पर, प्रथम शिविर के 15 कार्य-दिवस के भीतर, उसी स्थान पर दाखिल-खारिज याचिकाओं के निपटारा के लिए आयोजित द्वितीय शिविर में उनका निम्नलिखित रीति से निपटारा करेगा :-

(i) वैसे वादों का, जिनमें शिविर में ध्वनि प्रसार यन्त्र अथवा अन्य साधन से आपत्ति आमंत्रण की उद्घोषणा करने के उपरान्त भी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, अंचल अधिकारी द्वारा द्वितीय शिविर में ही, जैसा वह उचित समझे वैसा आदेश पारित कर, निपटारा किया जाएगा।

(ii) वैसे वादों की, जिनमें द्वितीय शिविर में आपत्तियाँ प्राप्त होती हैं, सुनवाई कैम्प में होगी तथा भूमि या उसके किसी भाग में हित रखनेवाले पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त, जैसा वह उचित समझे वैसा आदेश पारित कर, निपटारा किया जाएगा। तथापि अगर निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए आगे की सुनवाई एवं साक्ष्य की आवश्यकता के दृष्टिकोण से वाद का निपटारा शिविर में सम्भव नहीं हो तो वाद अंचल अधिकारी के नियमित न्यायालय को भेज दिया जाएगा, जहाँ पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का, यदि कोई हो, युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त, अंचल अधिकारी दाखिल

खारिज याचिका की प्राप्ति से 30 कार्य–दिवसों के भीतर, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर वाद का निपटारा करेगा।

8. **नामंजूरी की दशा में याचिकाकर्त्ता को सूचना देना ।**– दाखिल खारिज याचिका की नामंजूरी की दशा में अंचल अधिकारी वाद अभिलेख के आदेश फलक में अस्वीकृत करने के आधारों को अभिलिखित करेगा तथा लिखित रूप में उसके सार की सूचना याचिकाकर्त्ता को या तो व्यक्तिगत तौर पर या निबंधित डाक या विशेष संदेशवाहक के माध्यम से देगा।

9. **शुद्धि पत्र का निर्गमन ।**– वैसे वादों में जिनमें दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया हो, अंचल अधिकारी अपने आदेश को प्रभावी करने के लिए दाखिल खारिज के लिए आदेश के 3 कार्य दिवसों के भीतर **प्रपत्र–XIV** में चार प्रतियों में शुद्धि पत्र निर्गत करेगा। शुद्धि पत्र की एक प्रति वाद–अभिलेख में संलग्न की जायेगी, दो प्रतियाँ संबंधित हल्का के कर्मचारी को दी जाएंगी, जबकि अंतिम एक प्रति याचिकाकर्त्ता को, या तो डाक या संदेश वाहक के माध्यम से भेजी जाएगी। कर्मचारी, प्रश्नगत भूमि के दाखिल खारिज करने के अंचल अधिकारी के आदेश को, जैसा शुद्धि पत्र में दर्शाया गया हो, प्रभावी करने के लिए चालू खतियान, अभिधारी के लेजर (पंजी) तथा खेसरा पंजी की प्रविष्टियों में आवश्यक परिवर्त्तन करेगा।

10. **शुद्धि पत्र के आधार पर प्रविष्टियों में परिवर्त्तन ।**– शुद्धि पत्र में दर्शाए गए दाखिल खारिज आदेश के अनुसार कर्मचारी सम्बन्धित जमाबन्दी से प्रश्नगत भूमि को घटाएगा तथा उसके अनुसार लगान और सेस की मांग का संशोधन करेगा तथा विवरण–यथा खाता संख्या, खेसरा संख्या और भूमि का रकबा सहित, भूमि अंतरिती की जमाबंदी में दर्ज करेगा तथा उसके अनुसार लगान और सेस की मांग संशोधित करेगा। अगर अंतरिती की जमाबंदी नहीं हो तो अंतरिती के नाम पर एक नई जमाबंदी सृजित की जाएगी और भूमि को, उसके विवरण सहित, दर्ज किया जाएगा और लगान एवं सेस की मांग निर्धारित की जाएगी। कर्मचारी अंतरिती की जमाबंदी की संख्या शुद्धि पत्रों में अंकित करेगा तथा शुद्धि पत्र की एक प्रति शुद्धि पत्रों की प्राप्ति के 3 कार्य दिवस के भीतर अंचल कार्यालय को लौटाएगा। शुद्धि पत्र की बची हुई प्रति हल्का के रक्षी–पंजी में संधारित की जाएगी। अंतरिती की जमाबंदी संख्या धारित करने वाले शुद्धि पत्र की प्राप्ति होने पर, अंचल कार्यालय उसे वाद–अभिलेख में संलग्न करेगा एवं अंचल अधिकारी के समक्ष उपस्थापित करेगा। अंचल अधिकारी, अंतरिती की जमाबंदी–संख्या आदेश फलक में दर्ज करेगा तथा वाद अभिलेख बंद करने के लिए आदेश देगा।

11. **अपील ।**– (1) अंचल अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के पारित होने के तीस (30) दिनों के भीतर सम्बन्धित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में उस आदेश के विरूद्ध अपील दायर कर सकता है।

(2) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, यदि उसका समाधान हो जाय कि अपील दायर करने में विलंब के लिए समुचित एवं पर्याप्त कारण हैं, अपील दायर करने में विलंब को माफ कर सकेगा।

(3) जैसे ही अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील दायर की जाती है, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सम्बन्धित अंचल अधिकारी से वाद–अभिलेख की मांग करेगा।

(4) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वाद से सम्बन्धित सभी पक्षकारों को, उन्हें या तो स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वाद की सुनवाई हेतु नियत दिन, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित करते हुए, सूचना निर्गत करेगा।

(5) उपस्थित होने तथा सुनवाई किये जाने का तर्कसंगत अवसर देने बाद भी किसी पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के मामले में, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता वाद को, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, एकपक्षीय रूप में निपटारा कर सकेगा।

(6) दाखिल खारिज अपील के निपटारा की समय सीमा दाखिल खारिज अपील दायर करने की तिथि से तीस (30) कार्य–दिवस की होगी।

(7) दाखिल खारिज अपील के निपटारा के उपरांत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अपने आदेश के क्रियान्वयन के लिए वाद–अभिलेख सम्बन्धित अंचल अधिकारी को वापस कर देगा।

(8) वाद–अभिलेख प्राप्त होने पर, अंचल अधिकारी नियम–9 में, यथा विहित रीति से, शुद्धि पत्र निर्गत करेगा।

(9) शुद्धि पत्र प्राप्त होने पर, कर्मचारी नियम–10 में, यथा विहित रीति से, सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों में परिवर्तन करेगा।

12. **पुनरीक्षण ।**–(1) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के पारित होने की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर, सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर कर सकेगा।

(2) सम्बन्धित समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता को यदि समाधान हो जाय कि विलंब होने के पर्याप्त कारण हैं तो वह पुनरीक्षण आवेदन दायर होने में हुए विलंब को क्षांत कर सकता है।

(3) जैसे ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन दायर किया जाता है, समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता सम्बन्धित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से वाद–अभिलेख की मांग करेगा।

(4) समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता वाद से सम्बन्धित सभी पक्षकारों को सूचना निर्गत करेगा, उन्हें या तो स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित दिन, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए निदेशित करेगा।

(5) उपस्थित होने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने बाद किसी पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के मामले में, समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता वाद का उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, एकपक्षीय निपटारा कर सकेगा।

(6) दाखिल खारिज पुनरीक्षण आवेदन के निपटारे की समय-सीमा, दाखिल खारिज अपील दायर करने की तिथि से, तीस (30) कार्य-दिवस की होगी।

(7) दाखिल खारिज पुनरीक्षण आवेदन के निपटारे के उपरांत, समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, अपने आदेश के क्रियान्वयन के लिए, वाद-अभिलेख सम्बन्धित अंचल अधिकारी को वापस कर देगा।

(8) वाद-अभिलेख प्राप्त होने पर, अंचल अधिकारी नियम-9 में, यथा विहित रीति से, शुद्धि पत्र निर्गत करेगा।

(9) शुद्धि पत्र प्राप्त होने पर, कर्मचारी नियम-10 में, यथा विहित रीति से, सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों में परिवर्तन करेगा।

अध्याय-VI
जमाबंदी का रद्दकरण

13. **जमाबंदी का रद्दकरण** :- (1) किसी भूमि या उसके भाग में हित रखनेवाला व्यक्ति, अपर समाहर्त्ता, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि या उसका भाग अवस्थित हो, के समक्ष **प्रपत्र-XV** में जमाबंदी के रद्दकरण के लिए याचिका दायर कर सकेगा।

(2) किसी भूमि या उसके भाग में हित रखनेवाला सरकार के किसी विभाग का प्राधिकृत प्रतिनिधि, अपर समाहर्त्ता, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि या उसका भाग अवस्थित हो, के समक्ष जमाबंदी के रद्दकरण के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) **प्रपत्र- XV** में जमाबंदी के रद्दकरण के लिए याचिका प्राप्त होने पर या भूमि या उसके किसी भाग में हित रखनेवाले विभाग/विभाग द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि से निर्देशित करने या स्वप्रेरणा से, अगर अपर समाहर्त्ता का समाधान हो जाय कि किसी कानून के उल्लंघन में या कार्यपालक अनुदेश के अतिलंघन में जमाबंदी के सृजन का पर्याप्त साक्ष्य है तो स्थानीय जनता से आपत्ति आमंत्रण के लिए **प्रपत्र- XVI** में आम सूचना निर्गत करते हुए तथा भूमि या उसके किसी भाग में हित रखने वाले व्यक्तियों, जिनमें अन्य के अतिरिक्त प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं, को **प्रपत्र-XVII** में विनिर्दिष्ट सूचना निर्गत करते हुए, जमाबंदी के रद्दकरण की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(4) आम एवं विनिर्दिष्ट सूचनाओं में सुनवाई की तिथि, समय और स्थान स्पष्ट रूप से उल्लिखित रहेंगे।

(5) सूचना की अवधि 14 दिनों की होगी।

(6) आम एवं विनिर्दिष्ट सूचनाओं की तामीला रीति पूर्वगामी नियम-5(3), (4) एवं (5) में यथोल्लिखित रीति होगी।

(7) अपर समाहर्त्ता मामले के बारे में जाँच-पड़ताल का संचालन या तो स्वयं या अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अन्य राजस्व पदाधिकारी के माध्यम कर सकेगा तथा जाँच-पड़ताल का निष्कर्ष वाद-अभिलेख के आदेश फलक में अभिलिखित करेगा।

(8) अपर समाहर्त्ता, सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने, अगर कोई हो, का युक्तिसंगत अवसर देने के उपरान्त जैसा वह उचित समझे, वैसा आदेश पारित करेगा।

(9) आदेश युक्तिसंगत होगा तथा उन आधारों को जिसपर वह आधारित हो, आदेश फलक में अभिलिखित किये जायेंगे।

(10) जमाबंदी के रद्दकरण के आदेश के उपरान्त अपील/पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए, अपर समाहर्त्ता उस अंचल अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में भूमि या उसका भाग अवस्थित हो, चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी तथा खेसरा पंजी में जमाबंदी रद्दकरण करने के लिए निदेश देगा।

(11) अपर समाहर्त्ता पूर्वगामी नियम 11(10) के अधीन आदेश पारित करने के उपरान्त उक्त जमाबंदी के अधीन भूमि पर दावा करने वाले व्यक्ति को बेदखल करेगा तथा विधिसम्मत स्वामी/अभिरक्षक को, उन शर्तों पर, जो निष्पक्ष एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हों, दखल प्रत्यावर्तित करेगा।

(12) ऐसे मामले जिनमें रद्द की गयी जमाबंदी के आधार पर भूमि पर दावा करने वाले व्यक्ति को बेदखल करना तथा विधिसम्मत स्वामी/अभिरक्षक को भूमि का प्रत्यावर्त्तन करना बिना बल प्रयोग के सम्भव नहीं हो, अपर समाहर्त्ता या तो स्वयं दखल प्रत्यावर्तन करेगा या अपनी अधिकारिता के भीतर किसी सिविल पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करेगा तथा पुलिस उपाधीक्षक को, जिसकी अधिकारिता में भूमि या उसका भाग अवस्थित हो, पर्याप्त बल सहित सहायक उप निरीक्षक से अन्यून पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करने हेतु निदेश देगा तथा यथावश्यक बल प्रयोग द्वारा रद्द की गयी जमाबंदी के आधार पर दावा करनेवाले व्यक्ति को बेदखल करेगा एवं विधिसम्मत स्वामी/अभिरक्षक को दखल प्रत्यावर्तित करेगा।

14. **अपील** ।– (1) अपर समाहर्त्ता के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश पारित होने के तीस (30) दिनों के भीतर सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता के न्यायालय में उस आदेश के विरूद्ध अपील दायर कर सकेगा।

(2) जिला के समाहर्त्ता को यदि समाधान हो जाय कि विलंब होने के समुचित कारण हैं तो वह अपील दायर होने में हुए विलंब को क्षांत कर सकेगा।

(3) जैसे ही अपर समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध अपील दायर की जाती है, जिला का समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता से वाद–अभिलेख की माग करेगा।

(4) जिला का समाहर्त्ता वाद से सम्बन्धित सभी पक्षकारों को, उन्हें या तो स्वयं अपने या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित दिन, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए निदेशित करते हुए सूचना निर्गत करेगा।

(5) उपस्थित होने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने बाद, किसी पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के मामले में, जिला का समाहर्त्ता वाद का उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, एकपक्षीय निपटारा कर सकता है।

(6) अपील के निपटारे के उपरांत, जिला का समाहर्त्ता, अपने आदेश के क्रियान्वयन के लिए, वाद–अभिलेख सम्बन्धित अंचल अधिकारी को वापस कर देगा।

(7) वाद–अभिलेख प्राप्त होने पर, अंचल अधिकारी नियम–9 में, यथा विहित रीति से, शुद्धि पत्र निर्गत करेगा।

(8) शुद्धि पत्र प्राप्त होने पर, कर्मचारी नियम–10 में, यथा विहित रीति से, सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों में परिवर्तन करेगा।

15. **पुनरीक्षण** ।– (1) जिला के समाहर्त्ता के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश के पारित होने की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर, सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर कर सकेगा।

(2) सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त का यदि समाधान हो जाय कि विलंब होने के समुचित कारण हैं तो वह पुनरीक्षण आवेदन दायर होने में हुए विलंब को क्षांत कर सकेगा।

(3) जैसे ही जिला के समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध अपील दायर की जाती है, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता से वाद–अभिलेख की माग करेगा।

(4) प्रमंडलीय आयुक्त वाद से सम्बन्धित सभी पक्षकारों को, उन्हें या तो स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित दिन, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए निदेशित करते हुए सूचना निर्गत करेगा।

(5) उपस्थित होने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने बाद किसी पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के मामले में, प्रमंडलीय आयुक्त वाद को, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, एकपक्षीय निपटारा कर सकेगा।

(6) पुनरीक्षण आवेदन के निपटारे के उपरांत, प्रमंडलीय आयुक्त सम्बन्धित समाहर्त्ता को वाद–अभिलेख वापस कर देगा, जो, आदेश क्रियान्वयन हेतु वाद–अभिलेख सम्बन्धित अंचल अधिकारी को भेज देगा।

(7) वाद–अभिलेख प्राप्त होने पर, अंचल अधिकारी नियम–9 में, यथा विहित रीति से, शुद्धि पत्र निर्गत करेगा।

(8) शुद्धि पत्र प्राप्त होने पर, कर्मचारी नियम–10 में, यथा विहित रीति से, सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों में परिवर्तन करेगा।

अध्याय– VII

खाता पुस्तिका की तैयारी

16. **खाता पुस्तिका की तैयारी तथा रैयतों को इसका वितरण** ।– (1) सम्बन्धित हल्का का कर्मचारी, यथास्थिति, बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के अधीन अथवा जोतों के समेकन से सम्बन्धित विधि के अधीन, तैयार किए गए अधिकार–अभिलेख तथा भूमि के अंतरण के फलस्वरूप दाखिल–खारिज के कारण हुए पश्चातवर्त्ती परिवर्त्तनों (यथा **प्रपत्र–II** में अभिधारी–खाता पंजी में प्रतिबिम्बित), के आधार पर अपनी अधिकारिता के अधीन सभी राजस्व ग्रामों के लिए **प्रपत्र– III** में खेसरा पंजी तैयार करेगा।

(2) खेसरा पंजी की प्रविष्टियों की शुद्धता के सम्बन्ध में कर्मचारी अपने हस्ताक्षर के अधीन एक प्रमाण पत्र देगा। अंचल निरीक्षक खेसरा पंजी की प्रविष्टियों का शत–प्रतिशत सत्यापन करेगा तथा खेसरा पंजी की प्रविष्टियों की शुद्धता के सम्बन्ध में अपना प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगा। सम्बन्धित अंचल अधिकारी खेसरा पंजी की कम से कम 25% प्रविष्टियों का सत्यापन करेगा एवं अपने हस्ताक्षर के अधीन सत्यापन का अपना प्रमाण पत्र अभिलिखित करेगा।

(3) कर्मचारी, अभिधारी–खाता–पुस्तिका एवं खेसरा पंजी की प्रविष्टियों के आधार पर **प्रपत्र–Ikh** में चालू खतियान की प्रविष्टियों को अद्यतन करेगा। कर्मचारी चालू खतियान की प्रविष्टियों की शुद्धता के सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र देगा। चालू खतियान की प्रविष्टियों का शत–प्रतिशत सत्यापन सम्बन्धित अंचल निरीक्षक द्वारा किया जाएगा, जो चालू खतियान की प्रविष्टियों की शुद्धता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र देगा। सम्बन्धित अंचल अधिकारी चालू खतियान की कम से कम 25% प्रविष्टियों का सत्यापन करेगा एवं अपना सत्यापन अभिलिखित करेगा।

(4) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर चालू खतियान की कार्यकारी प्रति अंचल कार्यालय में समर्पित की जाएगी। अंचल अधिकारी यथावश्यक सत्यापन के उपरान्त अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन चालू खतियान के प्रविष्टियों के आधार पर चालू खतियान की कम्प्यूटरीकृत प्रतियाँ तैयार कराएगा। अंचल

अधिकारी अंचल अमीन अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर द्वारा सर्वे नक्शा की कार्यकारी प्रति को अद्यतन कराएगा।

(5) नए वित्तीय वर्ष के आगमन पर, राजस्व ग्रामों के चालू खतियान की कम्प्यूटरीकृत प्रतियों में एक, वित्तीय वर्ष तक आगे अद्यतन करने के लिए सम्बन्धित हल्का कर्मचारी को दी जाएगी।

(6) चालू खतियान एवं अभिधारी खाता पंजी की प्रविष्टियों के आधार पर, अंचल अधिकारी प्रत्येक अभिधारी के लिए प्रपत्र–XVIII में खाता–पुस्तिका, जिसमें उस राजस्व ग्राम में उसके द्वारा धारित सभी भूमि का ब्योरा होगा, तैयार कराएगा।

(7) अंचल अधिकारी सभी अभिधारियों को, 20/–रूपये के भुगतान पर, खाता पुस्तिका की आपूर्ति करेगा।

(8) प्रत्येक दाखिल खारिज के उपरान्त, सम्बन्धित रैयत उस राजस्व ग्राम से सम्बन्धित अपनी खाता–पुस्तिका अंचल अधिकारी के समक्ष समर्पित करेगा। अंचल अधिकारी उसकी खाता–पुस्तिका को अद्यतन के लिए सम्बन्धित कर्मचारी को अग्रसारित करेगा एवं अंचल निरीक्षक द्वारा उसके सत्यापन के उपरान्त अपना हस्ताक्षर करेगा और अद्यतन की गयी खाता–पुस्तिका सम्बन्धित रैयत को वापस करेगा।

(9) खाता पुस्तिका के अद्यतनीकरण की समय–सीमा अंचल अधिकारी के समक्ष समर्पित करने की तिथि से 7 दिनों की होगी।

अध्याय– VIII
प्रकीर्ण

17. **न्यायालय फीस।**– प्रत्येक याचिका, अपील का ज्ञापन तथा पुनरीक्षण के आवेदन पर पांच रूपये का गैर न्यायिक टिकट लिपकाया जाएगा।

18. **सत्यापित प्रतियां एवं जानकारियाँ।**– आदेश–फलक, शुद्धि पत्र, चालू खतियान अथवा अभिधारी खाता पंजी की अभिप्रमाणित उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ लेने का इच्छुक कोई व्यक्ति सम्बन्धित अंचल कार्यालय में 10/– रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस के साथ आवेदन देगा। अपेक्षित फीस के साथ आवेदन दायर करने के उपरान्त, प्रभारी लिपिक वांछित प्रमाणित प्रति तैयार करेगा तथा उसके मिलान के लिए प्रधान लिपिक के समक्ष उपस्थापित करेगा जो उसके समुचित रूप से मिलान के बाद, आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस के भीतर, अपने हस्ताक्षर के अधीन, उसको निर्गत करेगा। दायर किए जाने वाले आवेदन तथा निर्गत की जाने वाली प्रमाणित प्रतियों एक पंजी में संधारित की जाएंगी, जिसका सम्बन्धित अंचल अधिकारी द्वारा सामयिक रूप से सत्यापन किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सी० अशोकवर्धन,
प्रधान सचिव ।

15. बिहार काश्तकारी (संशोधन)-2017

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 815) पटना, मंगलवार, 5 सितम्बर 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

5 सितम्बर 2017

सं० एलजी०-01-21/2017-186 लेज.—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 31 अगस्त 2017 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 24, 2017]

बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह अधिनियम बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. अधिनियम, 1885 की धारा–118 में संशोधन।–उक्त अधिनियम, 1885 की धारा–118 में उल्लिखित प्रावधान को उप–धारा–(1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित नई उप–धारा–(2) एवं (3) जोड़ी जाएगी.–

"(2) कोई भी रैयत अपनी निजी जमीन की मापी कराये जाने हेतु, विहित प्रपत्र में, मापी कराये जाने वाली जमीन पर अधिकार से संबंधित साक्ष्य के साथ आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी के समक्ष समर्पित करेगा। अंचल कार्यालय में मापी आवेदन पत्र जमा किये जाने के पश्चात्, अंचल अधिकारी आवेदक की जमीन पर अधिकार एवं हक से संबंधित साक्ष्य की जांच करेंगे एवं संतुष्ट होने के पश्चात् अमीन फीस जमा करने का आदेश आवेदक को देंगे। आदेदक के द्वारा अमीन का फीस जमा किये जाने के पश्चात्, अंचल अधिकारी आवेदक की रैयती जमीन की मापी कराये जाने की तिथि नियत करते हुए अंचल अमीन को नियत तिथि को जमीन की मापी कर मापी प्रतिवेदन, नक्शा के साथ, समर्पित करने का निदेश देंगे।

अंचल अमीन के द्वारा नियत तिथि को जमीन की मापी करते हुए संबंधित जमीन को स्थल पर सीमांकित कर दिया जाएगा एवं अपना मापी प्रतिवेदन नक्शा के साथ अंचल कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अंचल अधिकारी उक्त प्रतिवेदन को संबंधित मापी अभिलेख के साथ संलग्न कर देंगे और अभिलेख में आगे की कार्रवाई को समाप्त कर देंगे। अमीन के मापी प्रतिवेदन के आधार पर, अंचल अधिकारी जमीन के स्वामित्व के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। अंचल अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो वे आवेदित जमीन की चौहदी के रैयतों को मापी की तिथि से अवगत कराते हुए, मापी के समय स्थल पर उपस्थित रहने से संबंधित नोटिस निर्गत करेंगे।

(3) अपील–अंचल अमीन के रैयती जमीन की मापी/मापी प्रतिवेदन से संबंधित अंचल अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट/व्यथित व्यक्ति मापी/मापी प्रतिवेदन के विरूद्ध, मापी की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील दाखिल करेगा। अपील निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने की स्थिति में अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन पत्र के साथ विलम्ब क्षांति से संबंधित आवेदन पत्र विलम्ब के कारण के साथ समर्पित किया जाएगा। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को यदि समाधान हो जाता है, कि विलम्ब होने के समुचित कारण है, तो वह अपील दायर होने में हुए विलम्ब को संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात् क्षांत कर सकेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात् यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक अमीन के द्वारा संयुक्त रूप से जमीन का मापी कराए जाने का आदेश पारित करेंगे अथवा अंचल अमीन द्वारा समर्पित मापी प्रतिवेदन को रद एवं अमान्य घोषित कर देंगे। यदि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अमीन के संयुक्त दल द्वारा किये गये मापी के आलोक में समर्पित मापी प्रतिवेदन से संतुष्ट हो तो वैसी स्थिति में अंचल अमीन के द्वारा समर्पित मापी प्रतिवेदन को अस्वीकार घोषित करेंगे और इस आशय का आदेश पारित करेंगे कि अमीन के संयुक्त दल का मापी प्रतिवेदन प्रभावी/मान्य होगा। यदि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अमीन के संयुक्त दल के मापी प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं हो, तो वे अन्य अमीनों का अन्य संयुक्त दल गठित करते हुए उस जमीन की पुनः मापी का आदेश करेंगे।"

3. अधिनियम, 1885 में नई उप धाराओं का जोड़ा जाना।–उक्त अधिनियम, 1885 की धारा–158 (बी) के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा–158 (सी) एवं धारा–158 (डी) जोड़ी जाएगी :–

"158(सी) लगान का नियतन।–(1) वैसी रैयती बेलगान/काबिल लगान भूमि का, जिसका लगान भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के संचालन के दौरान नियत नहीं किया गया हो, लगान नियत करने की शक्ति क्षेत्र के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी में निहित होगी।

(2) वैसे मामलों में लगान नियतन की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जिनमें होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में, सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद लंबित हों।

(3) वैसे मामलों में भी लगान नियतन की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जिनमें किसी होल्डिंग या उसके भाग में हित अर्जित करने वाले का उस होल्डिंग या उसके भाग पर भौतिक कब्जा न हो।"

"158 (डी) अपील।—(1) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध, आदेश की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता के समक्ष अपील संस्थित होगी।

(2) अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता को यदि समाधान हो जाय कि विलम्ब होने के समुचित कारण है तो वह अपील दायर होने में हुए विलम्ब को क्षान्त कर सकेगा।

(3) अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गयी हो उसे उपान्तरित, परिवर्तित या अपास्त करने वाला आदेश तबतक नहीं दिया जाएगा, जबतक कि सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(4) लगान नियंत्रन से संबंधित अपील का निष्पादन, अपील दायर करने की तिथि से 60 (साठ) कार्यदिवसों के भीतर किया जाएगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

5 सितम्बर 2017

सं० एलजी०–01–21/2017–187 लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2017 को अनुमत बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 का निम्नलिखित अंग्रजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 24, 2017]

THE BIHAR TENANCY (AMENDMENT) ACT, 2017

AN

ACT

To Amend the Bihar Tenancy Act, 1885

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty eighth year of the republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and Commencement.*—(1) This Act may be called The Bihar Tenancy (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment in Section-118 of the Bihar Tenancy Act, 1885.*—Provisions mentioned in Section-118 of the Bihar Tenancy Act will be numbered as sub-section-(1) and after that the following new sub-sections-(2) and (3) shall be added :-

"(2) Any raiyat interested in getting his raiyati land measured by Anchal Amin will submit a petition with proof of his right over the concerned land before the Circle Officer of the area. As and when such land measurement petition is received in the Anchal Office, the Circle Officer will examine the papers related to petitioner's right and title over the land and after his satisfaction, the petitioner will be directed to deposit Amin Fee. After deposition of Amin fee by the petitioner, the Circle Officer will fix a date for measurement of raiyati land of the petitioner and direct the Anchal Amin to measure petitioner's raiyati land and submit his report with map.

The Anchal Amin will measure and demarcate petitioner's raiyati land on fixed date and submit his report with map in the Anchal Office. The Circle Officer will attach the said repot of the Anchal Amin with the concerned measurement record and shall close further proceedings of the record. The Circle Officer will not pass any order regarding title over the land. If Circle Officer thinks necessary, he will inform boundary raiyats of the land about the date and time of measurement with a direction to make their presence at the time of measurement of the land by Anchal Amin.

"(3) Appeal- Dissatisfied by the order of the Circle Officer regarding raiyati land measurement order/measurement report of the Anchal Amin, aggrieved person/persons will file appeal in the court of Deputy Collector Land Reforms against the measurement/measurement report within 30 days from the date of order of Anchal Adhikari/measurement report by Anchal Amin. The Land Reforms Deputy Collector may condone the delay after hearing parties in filing appeals provided he is satisfied that there are sufficient reasons for such delay. After hearing concerned parties, the Land Reforms Deputy Collector will pass order regarding measurement of such land by two or more Amins jointly or may declare measurement report of the Anchal Amin as null and void. If Land Reforms Deputy Collector is satisfied with the measurement report submitted by the joint team of Amins, then he may declare measurement report of the Anchal Amin as non-acceptable and pass an order to the effect that measurement report of joint team of Amins will prevail. If Land Reforms Deputy Collector is not satisfied with the measurement report of joint team of Amins, then he will order for re-measurement of such land by constituting another joint team of Amins.

3. *Addition of new sections in the Act 1885.*— The following new sections 158C and 158D shall be added after Section-158B of the said Act 1885

"158(C) Fixation of rent - (1) The power of fixing rent of Belagan /Kabil Lagan land, whose rent has not been fixed during Survey and Settlement operation period, shall vest in the Deputy Collector Land Reforms/Sub-Divisional Officer.

(2) Sanction of rent fixation shall not be given in such cases in which Title Suit with regard to the holding or a part thereof is pending in the competent Court.

(3) Sanction of Rent fixation shall also not be given of a holding or a part thereof, in which acquirer of an interest in the holding or part thereof have not physical possession over the holding or a part thereof.

"158(D)Appeal- (1) An appeal against the order of the Land Reforms Deputy Collector/Sub-Divisional Officer shall lie before the Additional Collector/ Collector within 60 (sixty) days from the date of order.

(2) The Additional Collector/Collector may, if he is satisfied that there are sufficient reasons for the delay, condone the delay in filing appeals.

(3) The Additional Collector/Collector shall not pass any order modifying, altering or setting aside the order appealed against unless a reasonable opportunity of being heard has not given to the concerned parties.

(4) Disposal of appeal relating to a rent fixation shall be made within 60 (sixty) working days from the date of filing of appeal.

By Order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)815-571+400-डी0टी0पी01
Website: http://egazette.bih.nic.in

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त में अंचल अधिकारियों की भूमिका

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 अद्यतन संशोधन, 2017 एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबरत नियमावली, 2012 अद्यतन संशोधन, 2019 के आलोक में किए जा रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की सफलता विशेष सर्वेक्षण के लिए नवनियोजित कर्मियों के साथ–साथ वर्तमान राजस्व प्रशासन के सहयोग एवं समन्वय पर आधारित है। जिला स्तर पर पूरे राजस्व प्रशासन का मूलाधार अंचल कार्यालय है। विशेष सर्वेक्षण का मुख्य कार्य अद्यतन अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का निर्माण करना है। अद्यतन अधिकार अभिलेख को तैयार करने में रैयतों से प्राप्त होने वाले विभिन्न कागजातों के साथ–साथ अंचल स्तर पर संधारित किए जाने वाले राजस्व संबंधी विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, पंजियों यथा पंजी–II की प्रति बंदोबस्त पंजी, वासगीत पर्चा, से संबंधित पंजी, सैरात पंजी, सरकारी भूमि की पंजी, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, भूदान पंजी इत्यादि एवं अन्य कागजातों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अद्यतन अधिकार अभिलेख बनाने के क्रम में सरकारी भूमि का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है। चूँकि अंचल अधिकारी अपने क्षेत्राधीन समस्त सरकारी भूमि का संरक्षक होता है, अतः विशेष सर्वेक्षण के अधिकार अभिलेख निर्माण में उसकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है। विगत वर्षो में सरकार की नीति एवं निदेश के अनुपालन में काफी संख्या में सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती का कार्य किया गया है। बन्दोबस्ती के आधार पर भूमि के स्वामित्व निर्धारण, इससे जुड़े विवादों, रैयतों के दावों की सत्यता की जाँच करने, इत्यादि एवं इन सब से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने में अंचल कार्यालय की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है।

विशेष सर्वेक्षण की सम्पूर्ण प्रकिया में अंचल अधिकारी की भूमिका को तीन भागो में बांटा जा सकता है :

I. विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होने के पूर्व किया जाने वाला कार्य।

II. विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होने से अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन तक किया जानेवाला कार्य।

III. अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के पश्चात किया जाने वाला कार्य विशेष सर्वेक्षण का कार्य।

I. विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होने के पूर्व किया जाने वाला कार्य

विर्शेष सर्वेक्षण कार्य के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा बनाई गई वर्त्तमान कार्य योजना के अनुसार तीन वर्षों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाना है। प्रथम चरण में राज्य के 14 जिलों के 151 अंचलों में विर्शेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाना है। विर्शेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अंचल स्तर से किए जाने वाले कार्यों के संबंध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से दिशानिर्देश/पत्र निर्गत किए गए है। इस संबंध में दिनांक–13.06.2019 को प्रधान सचिव के माध्यम से विडियों कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेश भी दिए गए है।

विर्शेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होन के पूर्व अंचल स्तर से निम्नांकित कार्य किया जाना आवश्यक है।

- ❖ अंचल अन्तर्गत रैयतों को विशेष सर्वेक्षण संबंधी जानकारी देना तथा विशेष सर्वेक्षण में सहयोग देने के लिए जागरूक करना।
- ❖ अंचल स्तर पर संधारित सरकारी भूमि पंजी बन्दोबस्ती पंजी, सैरात पंजी एवं अन्य पंजीयों को अद्यतन करना।
- ❖ पंजी–2 (जमाबंदी पंजी) की डिजिटेलाइज्ड प्रति उपलब्ध करना।
- ❖ विशेष सर्वेक्षण शिविर के लिए चयनित स्थल पर बुनियादी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी/विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करना।
- ❖ प्रथम दृष्टया फर्जी या गलत जमाबंदी रद्द करने के संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई करना।
- ❖ अंचल स्तर पर जिन ग्रामों या ग्रामों की चादरों का मानचित्र उपलब्ध नहीं है उसकी सूची तैयार करना एवं अनुपलब्ध मौजों या चादरों के मानचित्र की खोज स्थानीय ग्राम स्तर पर कराना तथा उपलब्ध होने की स्थिति में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को सूचित करना।

❖ सी0 एस0 खतियान/आर0एस0 खतियान की उपलब्धता की सुनिश्चित करना।

❖ अंचल स्तर पर असर्वेक्षित मौजा/क्षेत्रों की पहचान करना एवं उसकी सूची संधारित करना।

II. विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होने से अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन तक किया जानेवाला कार्य।

1. संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की बैठक में राजस्व कर्मचारी के साथ जमाबंदी पंजी/खतियान के साथ सम्मिलित होना।
2. समाहर्त्ता/बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कार्य हेतु उद्घोषित राजस्व ग्रामों के संबंध में सूचना अंचल कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित कराना एवं प्रचार–प्रसार कराना।
3. जमाबंदी पंजी (पंजी–II) की डिजिटिलाईज्ड प्रति शिविर पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
4. सरकारी भूमियों (सभी प्रकार) की सूची शिविर प्रभारी को उपलब्ध कराना।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी को वितरित सरकारी भूमियों की सूची, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साईट पर विहित प्रपत्र में डाली गई सभी प्रकार के बन्दोबस्त भूमियों की विवरणी शिविर प्रभारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को अन्य आवश्यक पंजियों की छाया प्रति उपलब्ध कराना।
6. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011, संशोधन, 2017 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकमों में सरकारी भूमि के पक्षकार के रूप में वादों के सुनवाई एवं विचारण के दौरान सभी अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ उपस्थित होना, List of document के साथ सरकारी अभिलेखीय साक्ष्यों को संबंधित प्राधिकारी को विचारण न्यायालय में समर्पित करना तथा पक्ष प्रस्तुत करना। विपरीत प्रविष्टि का आदेश होने पर अपील/रिविजन दायर करने तथा संबंधित राजस्व न्यायालय में स्वयं एवं सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत करना। साथ ही सभी कार्रवाईयों का लिखित प्रतिवेदन भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/उप